

**डिकरी व मुकदमें इबतदाई**  
(आर्डर 20 रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)  
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)  
अज अदालत सहायक कलक्टर, नदबई  
व इजलास श्री गंगाधर मीणा, आर.ए.एस

**रामदयाल बनाम बदनसिंह वगै०**

दावा बाबत 88,89,188 रा०का० अधिनियम

मुकदमा नंबर 25/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू .....  
मिनजानिब मुददठ व डिकरी दी जाती है कि

व हाजरी वादी  
मिनजानिब मुददालय पेश होकर, हुकम दिया जाता है व

विवादित आराजी खसरा नंबर 142 रकबा 0.53 है० साबिक खसरा नंबर 108 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम अरौदा तहसील नदबई पर वादी को वयनामा दिनांक 12.08.81 के आधार पर 1/4 हिस्सा के स्थान पर 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्सा के स्थान पर 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को 1/4 के स्थान पर 1/3 हिस्सा वाहिस्सा बराबर खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

वेज - मुबलिंग - - - - - बावत - - - - - खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह  
फीसदी सालाना आज की तारीख सं तारीख व सुलयाबी तक - - - - - की अदा करें।

दसबा व मुहर अदालत के आज तारीख 26.03.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत 26/03/25

मुददई	रुप्या	पैसा	सहायक नदबई	नदबई
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बावत इजराय हुकम नामा मुतफरिक  मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अराजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बावत इजराय हुकमनामा मुतफरिक  मीजान	रहसदी शिवा बरहद



1. रामदयाल पुत्र दुर्गासिंह जाति जाट निवासी गुदावली तहसील नदबर्द जिला भरतपुर।
2. देवेन्द्रपाल पुत्र स्व० भूपसिंह जाति जाट निवासी गुदावली तहसील नदबर्द जिला भरतपुर।
3. महादेई बेवा भूपसिंह जाति जाट निवासी गुदावली तहसील नदबर्द जिला भरतपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबर्द।
5. भारतीय स्टेट बैंक शाखा नदबर्द जरिए प्रबंधक।

बनाम

यादी

26/03/25

प्रतिवादीगण

सिंहसिंह के लक्ष्मण  
नदबर्द विद्या भवन



# न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर भीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 25/2021

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/00036

क्रिस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

निर्णय दिनांक 26.03.2025

1. रामदयाल पुत्र दुर्गासिंह जाति जाट निवासी गुदावली तहसील नदबई जिला भरतपुर।

बनाम

वादी

1. बदनसिंह पुत्र कजौडी जाति जाट निवासी गुदावली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. देवेन्द्रपाल पुत्र स्व0 भूपसिंह जाति जाट निवासी गुदावली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. महादेई बेवा भूपसिंह जाति जाट निवासी गुदावली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
5. भारतीय स्टेट बैंक शाखा नदबई जरिए प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री महेन्द्र भीणा एड.(वादी की ओर से)

श्री अशोक कुमार (प्रतिवादीगण की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. यह कि वादी व प्रतिवादीगण जो वाद लड़ने में सक्षम हैं। मृतक भूपसिंह के वारिसान को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।
2. यह कि विवादित आराजी खसरा नंबर 142 रकबा 0.53 है0 साबिक खसरा नंबर 108 रकबा 2 बीघा 2 बिरवा वाके ग्राम अरौदा तहसील नदबई में स्थित है जो जमाबंदी संवत 2073-78 खाता संख्या 535 से साबित है।
3. यह कि विवादित आराजी जरिए वयनामा छाजू पुत्र बादाम सिंह व रतनसिंह नाबालिग पुत्र बादाम सिंह जरिए बली. सरपरस्त छाजू पुत्र बादाम सिंह से खसरा नंबर 108 रकबा 2 बीघा 2 बिरवा जरिए रजि. वयनामा वादी व

26/03/25-

प्रतिवादीगण के पिता भूपसिंह व कजौड़ी ने दिनांक 12.08.1981 को 4000 रूपए क्रय किया था और भूपसिंह व कजौड़ी की मृत्यु होने के कारण उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 को बनाया गया है जिसमें वयनामा मुताबिक भूपसिंह व वादी रामदयाल पुत्र दुर्गासिंह व कजौड़ी पुत्र रामफूल जाति जाट निवासी गुदावली ने वाहिरसा बराबर खरीद किया था परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा इन्तकाल नंबर 217 का पूर्व वयनामा खरीद का इन्द्राजात गलत करते हुए बदनसिंह पुत्र कजौड़ी जो 1/3 हिस्से का हिस्सेदार है उसके नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज गलत अंकन किया है व भूपसिंह व रामदयाल पुत्र दुर्गासिंह का 1/4, 1/4 हिस्सा अंकन के स्थान पर 2/3 हिस्सा वयनामा मुताबिक किया जाना न्यायहित में था जिससे वादी जरिए दावा वयनामा के आधार पर कजौड़ी पुत्र रामफूल के 1/3 हिस्सा के बजाए 1/2 जो बदनसिंह पुत्र कजौड़ी के नाम गलत अंकन है उसे 1/3 हिस्सा वयनामा के आधार पर किया जाना कानूनी आवश्यक है इसलिए वादी रामदयाल पुत्र दुर्गासिंह को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 बदनसिंह पुत्र कजौड़ी को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को क्रमशः देवेन्द्रपाल व महादेई को 1/3 हिस्सा वाहिरसा बराबर खातेदार काश्तकार दर्ज अंकन किया जावे व इसी अनुसार दावा में आदेश कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करया जाना उचित है।

4. अंत में वादी द्वारा प्रार्थना की कि उक्त विवादित आराजी पर वादी को 1/4 के स्थान पर 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्सा के स्थान पर 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को 1/4 के स्थान पर 1/3 हिस्सा वाहिरसा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व गलत इन्द्राजात बदनसिंह पुत्र कजौड़ी के 1/2 हिस्सा के स्थान पर 1/3 हिस्से का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश देते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 की और से श्री अशोक कुमार एडवोकेट उपस्थित हुरे। प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 तामील बाबजूद्र न्यायालय हाजा उपस्थित न होने के कारण एकररफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी स. 1 की और से जबाब


25/12/2008

दावा पेश किए जाने हेतु बार बार अवसर प्रदान किए गए तदुपरान्त जगद्व दावा 24.10.2024 को बंद किया गया । वारो साक्ष्यवादी पत्रावली नियत की गई ।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के सामर्थन में नकल जमावंदी संवत 2073-76 वाके ग्राम अरौदा, वयनामा रजि. दिनांक 12.08.1981, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके अरौदा पेश किए गए। तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी रामदयाल पुत्र दुर्गीसिंह जाति जाट निवासी गुदावली व जग्गो पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी बरौलीछार के वयान पेश किए गए। इनसे जिरह प्रतिवादी वकील द्वारा की गई।

प्रतिवादी द्वारा कोई भी दरस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किये गये। पत्रावली वारो बहस अंतिम नियत की गई।

वादी व प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दरस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि वादी द्वारा प्रस्तुत हाल जमाबंदी संवत 2073-76 वाके अरौदा पेश की गई जिसमें विवादित आराजी खसरा नंबर 142 रकबा 0.53 है0 पर बदनसिंह पुत्र कजौड़ी हिस्सा 1/2 जाति जाट साकिन गुदावली, भूपसिंह पुत्र दुर्गीसिंह हिस्सा 1/4 जाति जाट साकिन गुदावली व रामदयाल पुत्र दुर्गीसिंह हिस्सा 1/4 जाति जाट साकिन गुदावली पर खातेदारी अंकित हो रही है यानि कि वादी व प्रति सं. 1 व प्रति 2 व 3 के पिता व पति के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त विवादित आराजी का साबिक खसरा नंबर 108 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा से बना है जो मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 से साबित है। उक्त साबिक खसरा नंबर 108 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा को जरिए रजि. वयनामा छाजू पुत्र बादाम सिंह व रतनसिंह नाबालिग पुत्र बादाम सिंह जरिए बलीसरपरस्त छाजू पुत्र बादाम सिंह से दिनांक 12.08.1981 को राशि 4000 रूपए में वादी रामदयाल व प्रतिवादी के पिता भूपसिंह व कजौड़ी ने क्रय किया था। इस प्रकार वयनामा के मुताबिक भूपसिंह व रामदयाल पुत्र दुर्गीसिंह व कजौड़ी पुत्र रामफूल जाति जाट निवासी गुदावली ने वाहिस्सा बराबर आराजी क्रय की थी। उक्त वयनामा का नामा0 संख्या 217 का पूर्ण वयनामा खरीद का इन्द्राजात गलत कर बदल सिंह पुत्र कजौड़ी जो 1/3 हिस्से का हिस्सेदार है उसके नाम का

  
26/03/25

1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया गया। भूपसिंह व रामदयाल पुत्र दुर्गासिंह का 1/4, 1/4 हिस्सा अंकन के स्थान पर 2/3 हिस्सा वयनामा मुताबिक किया जाना था। इस प्रकार वादी रामदयाल पुत्र दुर्गासिंह को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 बदनसिंह पुत्र कर्जौडी को 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 क्रमशः 1/3 हिस्सा वाहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाना था। परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से गलत इन्द्राजात दर्ज किए गए हैं जो काबिल कलमजन के हैं। इस संबंध में वादी द्वारा मौखिक बयान में कथन किए हैं जो वादी के वादपत्र की ताहीद करता है। अतः वादी का वादपत्र काबिल स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 142 रकबा 0.53 है 0 साबिक खसरा नंबर 108 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम अरौदा तहसील नदबई पर वादी को वयनामा दिनांक 12.08.81 के आधार पर 1/4 हिस्सा के स्थान पर 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्सा के स्थान पर 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को 1/4 के स्थान पर 1/3 हिस्सा वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्या डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.03.25 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली कैसलशुमार शेकर दाखिल दफतर हो।



सहायक न्यायाधीश (R.A.S.)  
सहायक कलकत्ता नदबई  
नदबई विभाग, नदबई